परिपत्र संख्या-स0द0-2020-21/646 /कम्प्यूटर0परि0सं0- 202021 //वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(सचलदल अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 15 अक्टूबर, 2020

समस्त,
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0),
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/वि0अनु0शा0),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय- उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत खण्ड एवं प्रतर्वन कार्यालयों द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों के विरुद्ध अपील की सूचना के सम्बन्ध में।

फील्ड स्तर पर खण्ड एवं प्रवर्तन कार्यालयों में कार्यरत प्रॉपर आफीसर द्वारा प्रान्तीय अधिनियम की सुसंगत धाराओं में पारित आदेशों के विरुद्ध धारा-107 के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दाखिल किए जाने का प्रावधान है। मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि आदेश से क्षुब्ध होने वाले व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं होता है कि विवादित आदेश के विरुद्ध किस अपीलीय कार्यालय में अपील दाखिल की जा सकती है।

व्यापारियों एवं अधिवक्ताओं की उक्त कठिनाई के निवारण के उद्देश्य से प्रदेश के सभी खण्ड एवं प्रवर्तन कार्यालयों में कार्यरत प्रॉपर आफीसर को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा पारित किए जाने वाले प्रत्येक ऐसे आदेश, जिसके विरुद्ध सम्बन्धित व्यक्ति को अपील करने का अधिकार है, के साथ संलग्न प्रारूप में सूचना प्रेषित की जाएगी।

उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय-

पता-

ई-मेल-

मूल आदेश संख्या- आदेश की तिथि-

<u>सूचना</u>

1. संदर्भित मूल आदेश की निःशुल्क प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को जिसके पक्ष में यह जारी किया गया है।

2. संदर्भित मूल आदेश से व्यथित होने पर सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा-107 सपठित नियम-108 के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारी .... के समक्ष FORM GST APL 01 में ऑनलाईन अपील दाखिल की जा सकती है।

3. ऑनलाईन अपील दाखिल करने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर आदेश (जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है) की मूल / सत्यापित प्रति अपीलीय कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4. संदर्भित मूल आदेश के विरुद्ध ऑनलाईन अपील दाखिल करने से पूर्व विवादित आदेश से सृजित कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क और अर्थदण्ड की स्वीकृत धनराशि जमा करना अनिवार्य है।

5. संदर्भित मूल आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है, से सृजित विवादित कर की दस प्रतिशत धनराशि का संदाय (Payment) करना अनिवार्य है।

सेवा में,

....

....

....